सत्रवाद संख्या–139 / 2021

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, मुंगेर।

सत्रवाद संख्या–139 / 2021
(पूरक तारापुर थाना कांड संख्या–58 / 2019 से उत्पन्न)

राज्य बनाम् अविनाश सिंह एवं अन्य।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
21.06.2021	कारागत अभियुक्त 1. अविनाश सिंह पिता–स्व0 अनिरूद्ध सिंह एवं 2. रेखा देवी पति–अविनाश सिंह की ओर से E-mail के माध्यम से दाखिल जमानत आवेदन (आई0ए0 नं0–01 / 2021) को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा Virtual Mode में प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदकगण का नियमित जमानत आवेदन संख्या 246 / 2021 पूर्व में श्रीमान् प्रभारी सत्र न्यायाधीश द्वारा अस्वीकृत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। दोनों आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक संख्या 1 मृतका का ससुर एवं आवेदिका संख्या 2 सास हैं। आवेदक संख्या 1 69 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है और ग्लूकोमा बीमारी की वजह से उसकी दृष्टि चली गयी है, आवेदिका संख्या 2 वृद्ध एवं कमजोर है। आवेदिका संख्या 2 के के साथ दो छोटे बच्चे उम्र क्रमशः 2 वर्ष एवं 15 दिन भी अभिरक्षा में हैं। आवेदकगण के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया गया है। यह मामला दहेज हत्या से संबंधित नहीं है बल्कि दुर्घटनावश मृत्यु हुई है। आवेदकगण उचित रकम का बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक–अभिक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत वाद दहेज हत्या के संबंध में दर्ज है। अतः जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाय। उभयपक्षों को Virtual Mode में सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचिका राधा देवी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी इस आशय का दर्ज किया गया है कि उनकी पुत्री जुही कुमारी की शादी हिन्दू रीति रिवाज से दीपक कुमार सिंह से दिनांक 06.07.2013 को हुई थी। शादी के उपरांत सूचिका की पुत्री ने तीन पुत्री क्रमशः 3 वर्ष, 2 वर्ष और 15 दिन को जन्म दिया, जिस कारण	

लगातार...
21.06.2021

उसके घरवाले दीपक कुमार सिंह, ससुर अविनाश सिंह, सास एवं अन्य अज्ञात सहयोगियों ने मिलकर सूचिका की पुत्री जुही कुमारी को मारकर लाश गायब कर दिया। इसकी सूचना दिनांक 31.03.2019 के 12 बजे दिन में सूचिका की पुत्री के देवर ने सूचिका के निजी मोबाईल पर दिया। सूचना मिलने पर सूचिका के द्वारा अपने परिजन के साथ ग्राम–सरोन जाकर पता किया गया तो पता चला कि उसकी पुत्री की हत्या कर लाश गायब कर दिया गया। अभियुक्तों के द्वारा दहेज की मांग किए जाने का भी आरोप सूचिका द्वारा लगाया गया है।

आवेदक संख्या 1 मृतका के ससुर, आवेदिका संख्या 2 मृतका की सास एवं प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। वाद में अनुसंधान पश्चात् आवेदकगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 304-B, 201/34 भा0द0वि0 में आरोप पत्र समर्पित किया गया एवं इन्हीं धाराओं में मूल वाद में संज्ञान हुआ है। मूल कांड दैनिकी के पारा–2, 3, 4, 5 में वादी एवं अन्य साक्षियों ने अभियुक्तों द्वारा मृतका की हत्या कर लाश गायब करने का समर्थन किया है। विवाह के 7 वर्ष के दौरान मृतका की मृत्यु हुई है। आरोपित अपराध की गंभीरता एवं उपरोक्त तथ्य, परिस्थिति के आलोक में आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण की ओर से दखिल जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम,
मुंगेर।
21.06.2021